

2018/00143

# FORM No. III

App-A  
Crim-I

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रावतभाटा

.....खेमराज पिता शंघेरात्र धाकड़ बनाम भूमिदारी तहसीलदार शंकराश बर्गेश  
किस्म मुकदमा प्रा.पत्र (पत्न्यशर्हि) नं. 92 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
14/05/2018	<p>प्राचीं खेमराज पिता शंघेरात्र धाकड़ नि: एकलिंगपुरा द्वारा "शतस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार-2018" के तहत ग्रा.पं. एकलिंगपुरा में आयोजित विधि में पत्न्यशर्हि करने हेतु प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया। जो फर्द रजिस्टर किया जावे। प्राचीं खेमराज पिता शंघेरात्र धाकड़ ने ग्रा.पं. एकलिंगपुरा पटवार हुका एकलिंगपुरा स्थित शंकराशरी की आशली नम्बर 195, 202/771 रकबा 0.54, 0.11 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 0.65 हे. की पत्न्यशर्हि कराये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आशली प्राचीं के श्वातेदधि हुका से फर्द शेकड है।</p> <p>अतः ग्रा.पं. एकलिंगपुरा पटवार एकलिंगपुरा स्थित आशली नम्बर 195, 202/771 रकबा 0.54, 0.11 हे. कुल 0.65 हे. की बिना किसी के कब्जे में फ़सलअफ़ाली किपे सेटलमेन्ट नम्बरी अनुधार पत्न्यशर्हि करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्न्यशर्हि रकबा प्राचीं वहन करेगा। कमिश्नर शुल्क 200/- आसरे दो शो स्थय प्राचीं से वसूल हो। पालनार्थ तहसीलदार शंकराशरी को लिखा जावे कि पत्रकाथन को शर्हि मिया जामर नियमानुसार उक्त आशली की पत्न्यशर्हि की जावे एवं कोई विवाद हो तो पुनः पत्र करे। पालना प्राप्ता हो। पत्रावली फ़सल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा</b></p>	